संख्या-10/751/49-3-2014-3/2013

प्रेषक,

देबाशीष पण्डा ,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता,उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक: 01जुलाई, 2014

विषय- उ0प्र0राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0, लखनऊ को राजकीय निर्माण एजेन्सी के समय प्राप्त निर्माण कार्यो को पूर्ण किये जाने हेतु दिनांक 31-3-2015 तक का और समय प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि0,लखनऊ परिवर्तित नाम उ0प्र0राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0, लखनऊ को वित्त विभाग के शासनादेश सं0 ई-8-372/दस-2010, दिनांक 24मई, 2010 द्वारा राजकीय निर्माण एजेन्सी एक वर्ष के लिए घोषित किया गया था, तदोपरान्त शासनादेश सं0ई-8-1550/दस-2011, दिनांक 02नवम्बर, 2011 द्वारा दिनांक 24-5-2011 से मात्र चालू निर्माण कार्यो हेतु अनन्तिम रूप से एक वर्ष के लिए राजकीय निर्माण एजेन्सी के रूप में नामित किया गया था, जो अवधि दिनांक 23-5-2012 को समाप्त हो चुकी है।

2- निर्माण एजेन्सी घोषित होने के फलस्वरूप इस संस्था के व्यवसाय में अपेक्षित वृद्धि हुयी तथा संस्था को विभिन्न राजकीय एवं सहकारी विभागों के निर्माण कार्य कराये जाने हेतु आबंटित हुए जिसमें संस्था द्वारा अधिकांश कार्य पूर्ण कराकर सम्बन्धित विभागों को हस्तान्तरित किये जा चुके हैं परन्तु अब भी संस्था को आबंटित कार्यो में लगभग 18 राजकीय विभागो के लगभग रू0 180.60 करोड़ के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं जिन्हें संस्था द्वारा पूर्ण कराकर सम्बन्धित विभागों को हस्तगत कराया जाना शेष है।

3- उक्त तथ्यों के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0, लखनऊ को अवशेष कार्यो को पूर्ण किये जाने हेतु दिनांक 31मार्च, 2015 तक की और समयवृद्धि निम्नलिखित शर्तो/नियमों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है :--

(1) शासनादेश संख्या-ई-8-372/दस-2010, दिनांक 24-5-2010 की अर्ह अवधि में विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा उ0प्र0श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 को जो भवन निर्माण डिपाजिट कार्य के रूप में आबंटित किये गये और निर्माण कार्य उक्त अवधि में प्रारम्भ हो चुके हैं, उन्हें पूर्ण किये जाने हेतु दिनांक 31-3-2015 तक समयवृद्धि प्रदान की जाती है।

(2) सम्बन्धित विभाग उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि0/उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0, द्वारा अब तक किये गये कार्य की गुणवत्ता से पूर्ण रूप से संतुष्ट होने एवं द्वितीय कि उनके सुविचारित मत में निर्माण कार्य उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0, से पूर्ण कराया जाना कार्यहित में है, तथा प्रशासकीय विभाग समय से गुणवत्ता सहित कार्य करा लेने में आश्वस्त हों।

(3) यह भी सुनिश्चित किया जाय कि सम्बन्धित कार्य/प्रकरण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई जॉच संचालित नही है।

--2/--

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारी समितियॉ,उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रश्नगत अवशेष कार्यो को पूर्ण करने हेतु एक निगरानी समिति गठित की जायेगी जो संस्था द्वारा कराये जा रहे कार्यो का निरीक्षण/पर्यवेक्षण कर प्रत्येक त्रैमास में अपनी आख्या शासन को उपलब्ध करायेगी।

(5) प्रबन्ध निदेशक, संस्था द्वारा कराये जा रहे कार्यो का थर्ड पार्टी वैल्यूवेशन कराया जाना सुनिश्चित करते हुए आख्या शासन को नियमित रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(6) संस्था के प्रबन्ध निदेशक द्वारा कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए ससमय सम्बन्धित विभागों को निर्माण कार्य पूर्ण कराकर हस्तगत कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(7) निर्माण कार्यो में किसी प्रकार की अनियमितता/शिाथिलता अन्यथा किसी प्रकार की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कार्यो के लिये प्रबन्ध निदेशक एवं संस्था स्वत: उत्तरदायी होगी।

(8) यह भी सुनिश्चित किया जाये कि संस्था द्वारा संदर्भगत समस्त अवशेष कार्य गुणवत्ता सहित निर्धारित समय सीमा दिनांक 31-3-2015 तक अवश्य पूर्ण कर लिये जायें। विचलन की स्थिति में इसका पूर्ण दायित्व प्रबन्ध निदेशक,लैबफेड का होगा।

4-- अत: उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0, लखनऊ उपरोक्त शर्तो/नियमों का पालन कराते हुए अधूरेअवशेष कार्यो को तत्काल पूर्ण कर सम्बन्धित विभाग को हस्तगत कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-2071/दस-2014, दिनांक: 30-6-2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(देबाशीष पण्डा)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-10/751(1)/49-3-2014,तद् -दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: --

1- प्रमुख सचिव, वित्त/न्याय/नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन ।
2- प्रमुख सचिव, माध्यमिक/प्राविधिक/व्यवसायिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन ।
3- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण/सिंचाई विभाग, उ0प्र0शासन ।
4- प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0शासन ।
5- प्रमुख सचिव, पंयाचतीराज/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन ।
6- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग,उ0प्र0शासन।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम किशोर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in